

सचिव

माननीय राज्यपाल, राजस्थान



सत्यमेव जयते

लोक भवन, जयपुर - 302 006

राजस्थान,

फोन : +91-141-2228792

फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.1(1)आरबी/2024 पार्ट-3/3075

दिनांक : 27 मई, 2026

प्रो. त्रिभुवन शर्मा,

कुलगुरु,

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।

महोदय,

डॉ. देव स्वरूप को लोक भवन के आदेश क्रमांक 3440-41 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रथम कुलगुरु नियुक्त किया गया था।

इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 3071-72 दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से डॉ. देव स्वरूप, कुलगुरु, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर को कुलगुरु के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। जिसके कारण उक्त विश्वविद्यालय में कुलगुरु का पद रिक्त हो गया है।

उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि नियमित कुलगुरु की नियुक्ति में समय लगने की संभावना प्रतीत होती है साथ ही उक्त विश्वविद्यालय में कामचलाऊ व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना प्रतीत होती है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. त्रिभुवन शर्मा, कुलगुरु, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर में कामचलाऊ व्यवस्था हेतु लगाये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलगुरु के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.1(1)आरबी/2024 पार्ट-3/ 3076

दिनांक : 27 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. देव स्वरूप, पूर्व कुलगुरु, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. कुलसचिव, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान